60

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–   कैलाश चन्द्र शर्मा
                                                                                                  आर.ए.एस

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	03.04.2018	09.05.2019

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक .... प्रार्थी

बनाम

1–श्री सुभाष चन्द अग्रवाल पुत्र रामजी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्रा0 पो0 दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स नाथूलाल रामजी लाल किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0

2– मैसर्स नाथूलाल रामजी लाल किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0

3–श्री विनोद कुमार सोनी प्रोपरायटर मैसर्स सोनी फूड प्रोडक्ट प्लाट नं0 136 ब्राहमण मोहल्ला नांगल राजावतान दौसा राज0

4– मैसर्स सोनी फूड प्रोडक्ट प्लाट नं0 136 ब्राहमण मोहल्ला नांगल राजावतान दौसा राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52(सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री सत्यनारायण गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 09.05.2019

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.10.2017 को समय 12.30 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स नाथूलाल रामजी लाल किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से सुभाष चन्द अग्रवाल पुत्र रामजी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्रा0 पो0 दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स नाथूलाल रामजी लाल किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नही होना स्वीकार किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री सुभाष चन्द अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता सुभाष चन्द अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) के 400–400 ग्राम के 10 पैकेट पैक्ट अवस्था मे से 4 नग 400–400 ग्राम के पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विकय हेतु रखे हुये मे से 4 पैकेट 400–400 ग्राम नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) वास्ते नमूना जांच खरीदा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री सुभाष चन्द अग्रवाल को रू0 120/–अक्षरे एक सो बीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) 400–400 ग्राम के 1–1 नग अलग–अलग चार सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1760 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1760 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. सुभाष चन्द अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय बिल प्रस्तुत नही कर कार्यालय मे उपस्थित होकर नमकीन(सोनिया ब्राण्ड) बतोर वारन्टी मैसर्स सोनी फूड प्रोडक्ट प्लाट नं0 136 ब्राहमण मोहल्ला नांगल राजावतान दौसा राज0 का खरीद बिल क्रमांक 593 दिनांक 02.10.2017 की छायाप्रति प्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4592 दिनांक 13.11.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/684/एक्ट/2017/682 दिनांक 31.10.2017 अनुसार सुभाष चन्द अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया नमकीन (सोनिया ब्राण्ड) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के तहत अप्रार्थी श्री सुभाष चन्द अग्रवाल पुत्र रामजी लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी ग्रा0 पो0 दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स नाथूलाल रामजी लाल किराणा स्टोर बस स्टेण्ड दत्तवास तहसील निवाई जिला टोंक राज0

पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) अप्रार्थी श्री विनोद कुमार सोनी प्रोपरायटर मैसर्स सोनी फूड प्रोडक्ट प्लाट नं0 136 ब्राहमण मोहल्ला नांगल राजावतान दौसा राज0 पर शास्ति 10,000/– (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

774

Scanned by CamScanner

अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 09.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज.

Scanned by CamScanner